

	<p>केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर</p> <p>OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST &amp; CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR</p> <p>सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009</p> <p>दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021</p>
---	--

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/314/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	05/ RTI/2021-22
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपिन कुमार शर्मा/ Shri Bipin Kumar Sharma, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer, सहायक आयुक्त Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर, Central GST & Central Excise(H.Q)Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	02.07.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री होमर मथेयु, 17- राजवी निवास, कांडला हवाई अड्डा के पास, तालुका- अंजार, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, पिनकोड:-370110 Homer Mathew, 17 Rajvi Residency, Near Kandla Airport, Taluka Anjar, District Kutch, Pin: 370110

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क गांधीनगर आयुक्तालय, 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao,



**Kar-Mitra**

@ **9157702006**



Chat with us

@[Live Seva Kendra on](#)

[www.cgstgandhinagar.gov.in](http://www.cgstgandhinagar.gov.in)

Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2<sup>nd</sup> floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश  
**ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005**

श्री होमर मथेयु, 17- राजवी निवास, कांडला हवाई अड्डा के पास, तालुका- अंजार, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, पिनकोड:-370110 द्वारा ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल किया गया जिसका पंजीकरण संख्या CCEAB/R/E/21/00025 दिनांक 27.04.2021 है। यह आवेदन केंद्रीय वस्तु सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को प्रेषित किया गया है। उक्त आवेदन पत्र फ़ासं. **GCCO/RTI/APP/346/2021-TECH** दिनांक 29.04.2021, संयुक्त आयुक्त, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 12.05.2021 को प्राप्त हुआ है।

Shri Homer Mathew, 17 Rajvi Residency, Near Kandla Airport, Taluka Anjar, District Kutch, Pin: 370110 has filed a online RTI application having registration number CCEAB/R/T/21/00025 dated. 27.04.2021. The said application was received in the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015. The said application was received in this office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar on 12.05.2021 as per the provisions of Section 6(3) of the RTI Act-2005 from the Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone vide their letter F.No. GCCO/RTI/APP/346/2021-TECH dated 29.04.2021.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है। In this regards, the required information pertaining to H.Q. office under below:-



**Kar-Mitra**  
@ 9157702006



Chat with us  
@Live Seva Kendra on  
[www.cgstgandhinagar.gov.in](http://www.cgstgandhinagar.gov.in)

इस आयुक्तालय में 1986 बेच के निरीक्षक श्री के.डी. भट्ट के सम्बन्ध में इस आयुक्तालय में कोई भी भुगतान विसंगती नहीं हुई है। अतः आपके द्वारा मांगी गयी सूचना शुन्य मणि जाये।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,  
Central Public Information Officer,  
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवामें To,  
श्री होमर मथेयु,  
17- राजवी निवास,  
कांडला हवाई अड्डा के पास,  
तालुका- अंजार, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, पिनकोड:-370110

प्रतिलिपि:-

1. सहायक आयुक्त एवं केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार,  
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयके पत्राक फ़ासं. **GCCO/RTI/APP/346/2021**  
दि. 29.04.2021 के सन्धर्भ में

2. सहायक आयुक्त, (प्रणाली अनुभाग) केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के हेतु



**Kar-Mitra**  
@ **9157702006**



Chat with us  
@ **Live Seva Kendra** on  
[www.cgstgandhinagar.gov.in](http://www.cgstgandhinagar.gov.in)